

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2006/चैत्र 17, 1928(शक)

संख्या- 146

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, उपायुक्त, पश्चिमी जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री हरशरण सिंह बल्ली को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत दिनांक 30.03.2006 को 12.00 बजे, थाना मोती नगर, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन उसी स्थान से 12.30 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Friday 07th April 2006/17Chaitra 1928

No. 146

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, West Distt., Delhi

"I have the honour to inform you that Shri H.S. Balli, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from PS Moti Nagar, Delhi at 12.00 Noon on 30.3.2006.

He was released at 12.30 PM from the same place on the same date."

Siddharath Rao
Secretary